



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 264 राँची, सोमवार, 4 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
25 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 मई, 2026

संख्या-5/आरोप-01-06/2022 का.-36039 (HRMS)--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 435, दिनांक-27.09.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री जयदीप तिग्गा, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-861/03), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-1:- श्री जयदीप तिग्गा(झा०प्र०से०), जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को विभागीय पत्र के माध्यम से मेसर्स ऐसे सिरामिक एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०, गम्हरिया राईस मिल का CMR लंबित (Defaulter) होने संबंधी तथ्यों से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद श्री जयदीप तिग्गा द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2011-12 एवं 2012-13 का बकाया राशि रुपये 5,17,29,438.18 रहने के बावजूद M/S Assay Ceramics & Chemicals Pvt. Ltd. राईस मिल को खरीफ विपणन मौसम 2019-20 के टैग किया गया है एवं उनके पास खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में 19 लॉट का CMR लंबित रह गया एवं सरकार के राजस्व की हानि हुई है।

आरोप संख्या-2:- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, चाईबासा द्वारा उक्त मिल पर खरीफ विपणन मौसम 2011-12 एवं 2012-13 का बकाया राशि 5,17,29,438.18 रहने के बावजूद M/S Assay Ceramics & Chemicals Pvt. Ltd. राईस मिल को खरीफ विपणन मौसम 2019-20 के टैग किया गया एवं उनके पास खरीफ विपणन मौसम 2019-20 लॉट का सी०एम०आर० (CMR) लंबित रह गया एवं सरकारी राजस्व की हानि हुई है ।

उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त राईस मिल की टैगिंग करने के क्रम में श्री जयदीप तिग्गा, प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए विभागीय आदेश संख्या-1154, दिनांक-14.05.2020 की अवहेलना करते हुए राईस मिल की टैगिंग की गई जो गम्भीर अनियमितता एवं नैतिक निम्नता का द्योतक है ।

आरोप संख्या-3:- विभागीय संकल्प संख्या-2743, दिनांक-21.10.2020 एवं संकल्प संख्या-2413 दिनांक-15.09.2020 के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा राशन कार्ड) के अन्तर्गत निर्धारित कुल 68,313 लाभुकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

दिनांक-31.12.2020 तक केवल 566 लाभुकों का चयन किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 0.82 प्रतिशत है ।

आरोप संख्या-4:- PMGKAY-1 तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत ऑफलाईन वितरित अनाजों की प्रविष्टि की जाने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 50% से भी कम आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी । उक्त से स्पष्ट है कि श्री तिग्गा द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है जिसके कारण सरकारी योजना का लाभ जन समान्य को नहीं मिल सका ।

आरोप संख्या-5:- विभागीय पत्रांक-2704, दिनांक-19.10.2020 के दिशा निर्देश के आलोक में JSFC के स्वीकृति आदेश संख्या-2062, दिनांक-12.11.2020 के माध्यम से PMGKAY के तहत PFMS के माध्यम से डोर स्टेप डिलिवरी की राशि का भुगतान हेतु चाईबासा को 65.29 लाख का अंतरण किया गया।

श्री तिग्गा द्वारा दिनांक-15.12.2020(लगभग 30 दिन के बाद) तक शून्य रुपये, दिनांक-21.12.2020 (पैंतालिस दिनों के बाद) तक कुल 63,84,796 रुपये भुगतान किया गया। अर्थात् श्री तिग्गा द्वारा लगभग डेढ़ माह में डोर स्टेप डिलिवरी से जुड़े परिवहन अभिकर्ता (Transporter) का विलम्ब से भुगतान किया गया, जो नैतिक दायित्वों के सर्वथा विपरीत है ।

आरोप संख्या-6:- माह जुलाई 2020 से दिसम्बर, 2020 तक MPR (Monthly Progress Report) में विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार कुल 24 प्रविष्टियाँ की जानी थी जिसमें से श्री तिग्गा द्वारा माह जुलाई 2020 में मात्र 8, अगस्त में 16, सितम्बर में 9, अक्टूबर में 15, नवम्बर में 11 एवं दिसम्बर में 17 प्रविष्टि ही की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री तिग्गा द्वारा सरकारी दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है ।

आरोप संख्या-7:- सरकारी सेवक आचार नियमावली 3(1) (i) एवं (ii) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा सचेत रहते हुए कर्मठता की अपेक्षा की जाती है परंतु श्री जयदीप तिग्गा द्वारा इसका पालन नहीं किया गया ।

2. उक्त गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-24328(HRMS), दिनांक-27.09.2023 के द्वारा श्री तिग्गा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. उक्त आरोपों की जाँच हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरान्त विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-113, दिनांक-07.01.2026 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपवार निष्कर्ष/मंतव्य अंकित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

“वस्तुगत मामले में आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं साक्ष्य तथा उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य एवं साक्ष्य तथा उसका परीक्षण/प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट होता है कि-

आरोप संख्या 1 एवं 2:- जाँच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपित पदाधिकारी ने जिला प्रबंधक का प्रभार 02.03.2020 को ग्रहण किया, जबकि टैगिंग की प्रक्रिया पूर्व से प्रारम्भ थी। उपलब्ध अभिलेखों एवं उस समय प्राप्त विभागीय/क्षेत्रीय रिपोर्ट के आधार पर मिल को कार्यरत मानते हुए टैगिंग की गई। जैसे ही बकाया एवं नीलाम वाद की सूचना संज्ञान में आई, टैगिंग तत्काल रद्द की गई, धान उठाव रोका गया तथा विधिसम्मत कार्रवाई (प्राथमिकी/सर्टिफिकेट वाद) आरंभ की गई।

जाँच में ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो कि आरोपित ने जानबूझकर नियमों की अवहेलना की या किसी प्रकार का अनुचित लाभ पहुँचाया। अतः राजस्व हानि का आरोप आरोपित की दुर्भावना अथवा कदाचार से जोड़कर सिद्ध नहीं होता, केवल प्रक्रियात्मक सतर्कता में कमी परिलक्षित होती है।

आरोप संख्या 3:- लाभुक चयन एवं कवरेज की प्रक्रिया प्रखंड स्तर से संचालित थी तथा अभियुक्त पदाधिकारी की भूमिका सीमित पर्यवेक्षणीय रही। परिस्थितिजन्य कारणों से लक्ष्य पूर्ति में विलंब हुआ। आरोप सिद्ध नहीं।

आरोप संख्या 4:- PMGKAY/ANB के अंतर्गत वास्तविक वितरण निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ है। तकनीकी कारणों से डेटा अपलोड में विलंब को कदाचार नहीं माना जा सकता। अतः आरोप सिद्ध नहीं।

आरोप संख्या 5:- परिवहन भुगतान में विलंब प्रक्रियात्मक कारणों से हुआ, जिसमें अभियुक्त की दुर्भावना या वित्तीय अनियमितता प्रमाणित नहीं होती। आरोप सिद्ध नहीं।

आरोप संख्या 6:- MPR प्रविष्टियों में आई कमी प्रणालीगत एवं मानव संसाधन से संबंधित रही, जिसे बाद में सुधार लिया गया। आरोप सिद्ध नहीं।

उपरोक्त के आलोक में आरोप संख्या-7 प्रासंगिक नहीं हैं। इस अभिमत के साथ जाँच की कार्यवाही समाप्त की जाती है।”

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा श्री तिग्गा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

4. अतः समीक्षोपरान्त, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 435, दिनांक- 27.09.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से श्री जयदीप तिग्गा, झाँपुरसे०

(कोटि क्रमांक-861/03), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को आरोप मुक्त किया जाता है।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी एक प्रति श्री जयदीप तिग्गा, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-861/03) एवं अन्य संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAYDEEP TIGGA JHK/JAS/04	विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 435, दिनांक-27.09.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से श्री जयदीप तिग्गा, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-861/03), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
